फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2026-27

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055-00-001-03-00 3055-सड़क परिवहन 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान व्यय					
01-वेतन	15500.00	4722.44	1605.20	00	15500.00
03-मंहगाई भत्ता	10075.00	3075.47	1000.00	810.00	9265.00
योग-	**25575.00**	**7797.91**	**2605.20**	**810.00**	**24765.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055-00-001-03-00 3055-सड़क परिवहन 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान व्यय					
08-कार्यालय व्यय	1200.00	2200.00	1000.00	500.00	1700.00
13-टेलीफोन पर व्यय	600.00	900.00	300.00	300.00	900.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	12.00	15.00	3.00	00	12.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20.00	42.20	22.20	10.00	30.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1500.00	2700.00	1200.00	00	1500.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	400.00	480.00	80.00	00	400.00
योग -	**3732.00**	**6337.20**	**2605.20**	**810.00**	**4542.00**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

परिवहन अधिष्ठानः- मानक मद संख्या 01-वेतन एवं 03 मंहगाई भत्ता में बचत कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने व कार्मिकों की भर्ती न हो पाने के कारण।

(2) परिवहन अधिष्ठान के निम्न मानक मदों में व्यायाधिक्य के कारण :-

(क). 08-कार्यालय व्ययः आय-व्ययक अनुमान 2026-27 में उक्त मद हेतु धनराशि रू0 1750.00 लाख वो सापेक्ष रु० 1200.00 लाख स्वीकृत हुआ है जो उक्त मद में प्रेषित अनुमान से रू० 550.00 लाख कम है। वर्तमान में जनपद के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के द्वारा धनराशि रू0 20,000.00 से अधिक के बकाया वाले वाहन स्वामियों को राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से अभियान चलाकर देय धनराशि को जमा कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये हैं, जिसके कारण जनपदों द्वारा उक्त मद में अधिक धनराशि की मांग की जा रही है, उक्त मद में अधिक धनराशि के व्यय का एक प्रमुख कारण प्रेषित की जाने नोटिस के डाक शुल्क में वृद्धि भी है।

2-नव सृजित 3 उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कार्यालय की स्थापना / साज-सज्जा पर व्यय भी वृद्धि का कारण है।

3-स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के डिस्पैच कार्य पर होने वाले डाक व्यय में वृद्धि भी एक कारण है।

पूर्व में रजिस्ट्रड डाक का शुल्क रू० 32.00 एवं स्पीड पोस्ट का शुल्क रू0 42.00 था जो वर्तमान में स्पीड पोस्ट का शुल्क लगभग रू0 56.00 हो गया हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग धनराशि रु० 1000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित की गयी है।

(ख). 13-टेलीफोन पर व्ययः आय-व्ययक अनुमान 2026-27 में उक्त मद हेतु धनराशि रू० 650.00 लाख के सापेक्ष रू0 600.00 लाख स्वीकृत हुआ है जो उक्त मद में प्रेषित अनुमान से रू० 50.00 लाख कम है। विगत वर्ष की देयता की निस्तारण चालू वर्ष में किया गया है। वर्तमान में इस मद में लगभग रु० 335.00 लाख आवंटन हेतु अवशेष है। वाहन सारथी 4.0 वेब सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु इंटरनेट लीज लाइन कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए धनराशि रु० 600.00 लाख का भुगतान बी०एस०एन०एल० को किया जाना है इस हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग धनराशि रु० 300.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित की गयी है।

(ग). 19-विज्ञापन, बिकी और विख्यापन व्ययः आय-व्ययक अनुमान 2026-27 में उक्त मद हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष रु० 12.00 लाख स्वीकृत हुआ है जो उक्त मद में प्रेषित अनुमान से रू० 8.00 लाख कम है। इस हेतु जनपदों के द्वारा राजस्व वसूली की नोटिसों को विज्ञापित कराये जाने के कारण उक्त मद में देयता उत्पन्न हुई है। उक्त मद में प्राविधानित धनराशि का शत-प्रतिशत आवंटित किया जा चुका है वर्तमान में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए धनराशि रू० 3.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित की गयी है।

(घ). 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्ययः- आय-व्ययक अनुमान 2026-27 में उक्त मद हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष रु० 20.00 लाख स्वीकृत हुआ है उक्त मद में प्राविधानित धनराशि का शत-प्रतिशत आवंटन किया जा चुका है। नवनियुक्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों के प्रशिक्षण पर धनराशि रू0 40.48 लाख एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर धनराशि रू० 1.70 लाख का भुगतान किया जाना है इस हेतु उक्त मद में धनराशि रू0 22.20 लाख देयता उत्पन्न हुई है। वर्तमान में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग धनराशि रू० 22.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित की गयी है।

(च). 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्वेयर का क्रयः- आय-व्ययक अनुमान 2026-27 में उक्त मद हेतु धनराशि रू0 6855.00 लाख के सापेक्ष रू0 1500.00 लाख स्वीकृत हुआ है, जो उक्त मद में प्रेषित अनुमान से रू0 5355.00 लाख कम है। वर्तमान में इस मद में लगभग रू० 829.00 लाख अवशेष है। सारथी प्रोजेक्टस समार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिटिंग हेतु

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मेसर्स सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज प्रा०लि०, फो-कॉम-नेट प्रा०लि0 एवं रोस्मार्टा टेक्नोलॉजीज को धनराशि रू० 800.00 लाख, सारथी प्रोजेक्ट स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस हेतु धनराशि रू0 54.00 लाख, ई-ऑफिस हेतु पंजीयन तथा ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य अभिलेखों के स्कैनिंग कर डिजिटल रिकार्ड तैयार किये जाने हेतु धनराशि रु० 15.00 लाख एवं स्मार्ट कार्ड पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु अनुमानित धनराशि रू0 985.00 लाख तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर के क्रय हेतु अनुमानित धनराशि रू0 175.00 लाख की आवश्यकता है। इस प्रकार उक्त मद से लगभग धनराशि रु० 2029.00 लाख का भुगतान किया जाना है। वर्तमान में इस मद में लगभग रू0 829.00 लाख आवंटन हेतु अवशेष है। उक्त मद में अवशेष धनराशि को घटाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 को लिए लगभग धनराशि रु० 1200.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित की गयी है।

(छ). 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान : आय-व्ययक अनुमान 2026-27 में उक्त मद हेतु धनराशि रू0 651.00 लाख के सापेक्ष रु० 400.00 लाख स्वीकृत हुआ है, जो उक्त मद में प्रेषित अनुमान से रू0 251.00 लाख कम है। वर्तमान में इस मद में लगभग रू0 200.00 लाख अवशेष है। समस्त डी०बी०ए० को वित्तीय वर्ष 2000-27 में प्रतिमाह रू० 26.00 लाख की दर से धनराशि स० 312.00 लाख का भुगतान किया जाना होता है जिसमें से दो माह का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है अवशेष माहों के भुगतान हेतु रु० 260.00 लाख की आवश्यकता है। आईटी अनुभाग में कार्यरत लीड एजेंसी के कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रतिमाह रु० 6.35 लाख की दर से धनराशि रू० 76.20 लाख का भुगतान किया जाना है जिसमें से दो माह का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। अवशेष माहों के भुगतान हेतु लगभग रू० 64.00 लाख की आवश्यकता है। चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रतिमाह रू0 4.33 लाख की दर से लगभग धनराशि रू० 52.00 लाख का भुगतान किया जाना है जिसमें से तीन माह का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जा चुका है। अवशेष माहों के भुगतान हेतु लगभग धनराशि रू० 39.00 लाख की आवश्यकता है। इस प्रकार उक्त मद से लगभग धनराशि रू0 363.00 लाख का भुगतान किया जाना है। वर्तमान में इस मद में आवंटन हेतु धनराशि रू0 200.00 लाख एवं धनराशि रू0 83.00 लाख आवंटन के पश्चात भुगतान हेतु अवशेष है। इस प्रकार कुल धनराशि रू0 283.00 लाख अवशेष है। उक्त मद में अवशेष धनराशि को घटाने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग धनराशि रू० 80.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित की गयी है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-99, दिनांक 15-09-2026

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(राजेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-76/2026/1398/तीस-3-2026 दिनॉक 23 सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(राजेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।